



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233576  
CG-DL-E-17022022-233576

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]  
No. 133]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2022/माघ 28, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2022/MAGHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 136(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चूना भट्टियों में पेटकोक का विक्रय और उपयोग भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) जिसमें उक्त अधिसूचना के साथ उपाबंध के रूप में उपाबंध सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को पेटकोक का विक्रय किया जाता है और उक्त सूची में कोई परिवर्तन, संबद्ध राज्य सरकार की सिफारिश और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा ;

और राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2 और चूना भट्टियों की संख्या में वृद्धि तथा उक्त अधिसूचना के उपबंध में विद्यमान 3 चूना भट्टियों के व्यौरों में संशोधन को अनुमोदित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के उपाबंध में,-

- (i) क्रम संख्यांक 34, 78 और 106 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“32	मेसर्स सिग्मा मिनरल लिमिटेड	के. सं. 800, 801, 798, 798/1 और 797, 801/1 और 801/2, खेजडला, तहसील-भीलवाड़ा, जिला-जोधपुर, राजस्थान	11	9400	19600	1960
78	मेसर्स बंसाल मिनरल एण्ड केमिकल	के. सं. 3467/1435, गांव- खींवसर, जिला-नागौर, राजस्थान	3	2250	4500	450
106	मेसर्स सिग्मा मिनरल लिमिटेड	के. सं. 165/21, 672/165, 158/1, 155, 155/1, 157, 158/3, 159/5, 159/6 और 164 बसनि, हरिसिंह, भोपालगढ़, जिला-जोधपुर, राजस्थान	16	33000	69000	6800”

(ii) क्रम संख्यांक 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“449	मेसर्स विष्णु लाइम	के. सं. 21/1, चटालिया, तहसील- बावरी, जिला-जोधपुर, राजस्थान	1	600	1250	120
450	मेसर्स प्रेम मिनरल	के. सं. 267/8, ग्राम पंचायत- चावंडिया, गोधन, तहसील- खींवसर, जिला-नागौर, राजस्थान	1	900	1800	180”

[फा. सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए (पीटी)]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 495(अ), तारीख 25 मई, 2018, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 31 मई, 2019, सा.का.नि. 906(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 113(अ), तारीख 14 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 714(अ), तारीख 13 नवंबर, 2020, सा.का.नि. 46(अ), तारीख 22 जनवरी, 2021, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 28 मई, 2021 और सा.का.नि. 3(अ), तारीख 4 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

**G.S.R. 136(E).**—Whereas, sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 45(E), dated the 19<sup>th</sup> January, 2018 (hereinafter referred to as the said notification), wherein sale of pet coke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, the Central Pollution Control Board has approved further addition of **two units for two lime kilns** and amendment in the details of **three existing units of lime kilns** in the Annexure of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in the Annexure, -

- (i) for serial numbers 32, 78 and 106 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“32	M/s. Sigma Minerals Ltd.	K. No. 800, 801, 798, 798/1 & 797, 801/1 and 801/2, Khejarla, Tehsil- Bilara, Distt- Jodhpur, Rajasthan	11	9400	19600	1960
78	M/s. Bansal Minerals & Chemicals	K. No. 3467/1435, Village- Khinvsar, Distt- Nagaur, Rajasthan	3	2250	4500	450
106	M/s. Sigma Minerals Ltd.	K. No. 165/21, 672/165, 158/1, 155, 155/1, 157, 158/3, 159/5, 159/6 and 164 Basani, Harisingh Bhopalgarh, Distt- Jodhpur, Rajasthan	16	33000	69000	6800”

- (ii) after serial number 448 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“449	M/s. Vishnu Lime	K. No. 21/1, Chataliya, Tehsil- Bawari, Distt- Jodhpur, Rajasthan	1	600	1250	120
450	M/s. Prem Minerals	K. No. 267/8, Gram Panchayat- Chawandiya, Godhan, Tehsil- Khinvsar, Distt- Nagaur, Rajasthan	1	900	1800	180”

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt.)]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note :** The principle notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19<sup>th</sup> January, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 495(E), dated the 25<sup>th</sup> May, 2018, G.S.R. 397(E), dated the 31<sup>st</sup> May, 2019, G.S.R. 906(E), dated the 12<sup>th</sup> December, 2019, G.S.R. 113(E), dated the 14<sup>th</sup> February, 2020, G.S.R. 714(E), dated the 13<sup>th</sup> November, 2020, G.S.R. 46(E), dated the 22<sup>nd</sup> January, 2021, G.S.R. 350(E), dated the 28<sup>th</sup> May, 2021 and G.S.R. 3(E), dated the 4<sup>th</sup> January, 2022.